

## चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1868

दिनांक : 22-7-2022

### सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन जगमोहन कालेज ऑफ लॉ, मसूरी, खेकड़ा, बागपत को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल0एल0एम0 (दो वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2022-2023 (दिनांक 01.07.2022) से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निम्न आदेशों में इंगित कमियाँ यथा-प्रभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सहम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सलर-2-2003-16 (92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 16.06.2022 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार जगमोहन कालेज ऑफ लॉ, मसूरी, खेकड़ा, बागपत को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल0एल0एम0 (दो वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2022-2023 (दिनांक 01.07.2022) से सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, जगमोहन कालेज ऑफ लॉ, मसूरी, खेकड़ा, बागपत को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह सर्वसम्मत संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाइट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

# चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



Ref. No. Affi./ 611

Dated: 07.5.2019

## TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Jagmohan College of Law, Khekra, Baghpat (U.P.) is affiliated to the Ch. Charan Singh University, Meerut since 2011 and recognized by University Grants Commission. The following Course/Subject are taught in the said college as per approval.

| S.No. | Course | Duration | Affiliation           |
|-------|--------|----------|-----------------------|
| 1     | LLB    | 3 Year   | Permanent Affiliation |

  
Registrar  
Registrar  
Ch. Charan Singh University  
Meerut



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ  
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

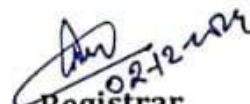
Ref.No.Affi./ 2730

Dated: 02.12.2024

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Jaghmohan College of Law, Khekra, Baghpat (U.P.) is affiliated to the Ch. Charan Singh University, Meerut since 2011 and recorgnized by University Grants Commission. The following Course/Subject are taught in the said college as per approval.

| S.No | Course    | Duration | Affiliation                                 |
|------|-----------|----------|---------------------------------------------|
| 1    | B.COM-LLB | 5 Years  | Permanent Affiliation                       |
| 2    | B.A-LLB   | 5 Years  | Temporary Affiliation<br>Years (2023-2028 ) |

  
02-12-2024  
**Registrar**  
Registrar  
Ch. Charan Singh University  
Meerut



# चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1975

दिनांक :- 05.09.2024

सेवा में,

प्रवेश समन्वयक

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय,

मा0 कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.07.2024 के द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालय/संस्थानों को स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर काईम एण्ड लॉ (एक वर्षीय) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान की गयी है। जो निम्न प्रकार है-

| S.NO | College Name                                                                | Course Name                             | Course Duration | Seats |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|
| 01-  | JAGHMOHAN COLLEGE OF LAW,<br>DELHI SAHARANPUR HIGHWAY,<br>MASSURIE, BAGHPAT | P.G. Diploma<br>in Cyber<br>Crime & Law | One<br>Year     | 40    |

भवदीय,

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)